भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **162**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना

162. श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में उर्वरक सब्सिडी योजना ''प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना'' (पीएमबीजेयूपी) के अंतर्गत 'एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना' कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित देश में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना से सम्पूर्ण देश में लोगों को लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में बेहतर गुणवत्ता वाले उर्वरकों के उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय उर्वरक उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग किया है/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए/उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (ग): उर्वरक विभाग ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 की अधिसूचना के द्वारा "प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी स्कीम के तहत उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और लोगो की शुरुआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों के विकल्पों (बास्केट) की उपलब्धता को बढ़ाना; बाजार में उपलब्ध अधिक ब्रांडों में से किसानों की चयन संबंधी दुविधा को दूर करना, क्रिसक्रॉस संचलन को कम करना और इसके अतिरिक्त समय पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

(घ): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देशन दिए गए हैं जो स्वदेशी और आयातित दोनों उर्वरकों के लिए लागू हैं। उक्त विनिर्देशनों को पूरा न करने वाला कोई भी उर्वरक देश में कृषि प्रयोजन के लिए नहीं बेचा जा सकता है। एफसीओ का खंड 19 उन उर्वरकों की बिक्री या विनिर्माण पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार, उत्पादित या आयातित उर्वरकों को एफसीओ विनिर्देशनों का पालन करना होता है।

(ङ.): सभी उर्वरक अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस ''प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना'' (पीएमबीजेपी) के तहत 'भारत ब्रांड' बैगों में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजे जा रहे हैं।

******